**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Need for establishing Uniform Civil Code in the country.

**श्री जनार्दन मिश्र (रीवा):** सभापति महोदय, देश की बढ़ती आबादी देश के अर्थतंत्र को कमजोर करने का बहुत बड़ा कारण रही है । इसको ध्यान में रखते हुए कई उपाय भी समय-समय पर सरकारों द्वारा किए गए हैं । केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर भी विधायी एवं प्रशासनिक स्तर पर प्रयास कर रही हैं । अन्य कारणों के साथ ही साथ लड़कियों के विवाह की उम्र भी निर्धारित की गई है । बाल विवाह पूर्णत: प्रतिबंधित है, जो अपराध की श्रेणी में भी आता है । परंतु अभी भी कुछ विधान ऐसे हैं, जिनकी व्याख्या के आधार पर बाल विवाह को भी वैधानिकता प्राप्त हो जाती है । गत माह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में मुस्लिम लॉ को आधार मान कर 15 वर्षीय लड़की के विवाह को वैधानिक माना है ।

सभापति महोदय, ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि जाति, धर्म व परंपराओं के आधार पर बाल विवाह, बहु-विवाह या ज्यादा बच्चे पैदा करने की प्रचलित प्रथाओं पर रोक लगाए जाने संबंधी नया विधान बनाया जाए । इस तरह के सभी विधानों के स्थान पर एक समान नागरिक संहिता बनाई जाए । जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रोत्साहनात्मक व निषेधात्मक प्रावधान किए जाएं, जिससे बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके । साथ ही समान नागरिक संहिता बनाकर धर्म के आधार पर मौजूद धार्मिक संहिताओं को समाप्त किया जाए ।